GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
RAILWAY BOARD

S.No. PC-V/126 **RBE No.240/98**
No. PC-V/98/I/7/3 **New Delhi, dated 15.10.98**

The Director General,
RDSO,
Lucknow.

Sub : Tenure Allowance to Officers of Organised Group 'A' Railway Services posted as Deputy Directors and Joint Directors and Group 'B' Officers when posted against Sr. Scale post in RDSO - Revision of.

Kindly refer to this Ministry's letters No. PC-III/76/MS/Misc./Court Case/RDSO dtd. 23.10.89 and PC-IV/94/12/1 dtd. 26.7.95 on the above mentioned subject.

2. Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the V Central Pay Commission, the President is pleased to decide that on their posting as Deputy Directors and Joint Directors in the office of RDSO, the officers of the Organised Group 'A' Railway Services will be entitled to draw their grade pay plus Tenure Allowance subject to the terms and conditions as stipulated below :-

(i) The officers of Organised Group 'A' Railway Services posted in RDSO as Joint Directors and Deputy Directors will be subjected to a prescribed tenure, on the expiry of which they will be reverted to field posts in Zonal Railways/Production Units/Construction Organisations.

(ii) Officers belonging to organised Group 'A' Railway Services will be paid a fixed tenure allowance @ Rs. 800/- p.m. in the case of Deputy Director, irrespective of the designation and Rs. 1000/- p.m. in the case of Joint Directors/Directors.

(iii) Their grade pay plus tenure allowance will be further subject to a ceiling of Rs. 15,200/- in the case of Deputy Directors and Rs. 18,300/- in the case of Joint Directors/Directors.

(iv) The allowance will not be paid beyond the normal tenure of 3 years for Deputy Directors and 4 years for Joint Directors and 5 years for Directors.

(v) No tenure allowance will be admissible to officers of these services posted in SAG and above in RDSO.

2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी. सी. I//126 — आर. बी. ई. सं. 240/98
सं. पी. सी. I//98/आई/7/3 — नई दिल्ली, दिनांक 15.10.98

महानिदेशक,
अनु. अभि. एवं मानक संगठन,
लखनऊ.

विषय :- अ. अ. मा. सं. में संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारियों को उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में और ग्रुप "बी" अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान पद पर तैनाती-कार्यकाल भत्ते में संशोधन.

कृपया उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय का 23.10.89 का पत्र सं. पी. सी. 76/एम एस/मिस/कोर्ट केस/आर डी एस ओ तथा 26.7.95 का पत्र सं. पी. सी.-I 94/12/1 देखें.

2. पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि अ. अ. मा. सं. में उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात किए जाने पर संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवा के अधिकारी अपने ग्रेड में वेतन के अलावा नीचे यथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर कार्यकाल भत्ता पाने के पात्र होंगे :-

(I) उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में अ. अ. मा. सं. में तैनात संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारी एक निर्धारित कार्यकाल तक तैनात किए जाएंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/निर्माण संगठनों में फील्ड पदों पर वापस भेज दिया जाएगा.

(II) संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारियों को "कार्यकाल भत्ता" के रूप में एक निर्धारित भत्ते का भुगतान किया जाएगा, भले ही उनका कोई भी हो. यह भत्ता उप निदेशक के मामले में प्रतिमाह 800 रु. तथा संयुक्त निदेशक के मामले में प्रतिमाह 1000/-रु. होगा.

(III) उनका ग्रेड वेतन तथा कार्यकाल भत्ते की कुल रकम की अधिकतम सीमा उप निदेशक के मामले में 15200/-रु. तथा संयुक्त निदेशक के मामले में 18300/-रु. तक होगी.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी. सी. V/126 — आर. बी. ई. सं. 240/98
सं. पी. सी. V/98/आई/7/3 — नई दिल्ली, दिनांक 15.10.98

महानिदेशक,
अनु. अभि. एवं मानक संगठन,
लखनऊ.

विषय :- अ. अ. मा. सं. में संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारियों को उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में और ग्रुप "बी" अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान पद पर तैनाती-कार्यकाल भत्ते में संशोधन.

कृपया उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय का 23.10.89 का पत्र सं. पी. सी. 76/एम एस/मिस/कोर्ट केस/आर डी एस ओ तथा 26.7.95 का पत्र सं. पी. सी.-I 94/12/1 देखें.

2. पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि अ. अ. मा. सं. में उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात किए जाने पर संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवा के अधिकारी अपने ग्रेड में वेतन के अलावा नीचे यथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर कार्यकाल भत्ता पाने के पात्र होंगे :-

(i) उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में अ. अ. मा. सं. में तैनात संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारी एक निर्धारित कार्यकाल तक तैनात किए जाएंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइ निर्माण संगठनों में फील्ड पदों पर वापस भेज दिया जाएगा.

(ii) संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवाओं के अधिकारियों को "कार्यकाल भत्ता" के रूप में एक निर्धारित भत्ते का भुगतान किया जाएगा, भले ही उनका कोई भी हो. यह भत्ता उप निदेशक के मामले में प्रतिमाह 800 रु. तथा संयुक्त निदेशक के मामले में प्रतिमाह 1000/-रु. होगा.

(iii) उनका ग्रेड वेतन तथा कार्यकाल भत्ते की कुल रकम की अधिकतम सीमा उप निदेशक के मामले में 15200/-रु. तथा संयुक्त निदेशक के मामले में 18300/-रु. तक होगी.

/निदेशक

(II) इस भत्ते का भुगतान उप निदेशक के लिए तीन वर्ष, संयुक्त निदेशक के लिए चार वर्ष तथा निदेशक के लिए पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के बाद नहीं किया जाएगा.

(I) अ.अ.मा.सं. में वरि.प्रशा. ग्रेड तथा इससे ऊपर के अधिकारियों के रूप में इन सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा.

नोट : यदि ग्रेड वेतन तथा कार्यकाल भत्ते को मिलाकर कुल रकम उप निदेशक के मामले में 15200/-रु. तथा संयुक्त निदेशक/निदेशक के मामले में 18300/- से अधिक होती हो तो उसे रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ता की मात्रा में समुचित रूप से समायोजन करते हुए उपर उल्लिखित निर्धारित अधिकतम सीमा तक सीमित रखा जाएगा.

3. तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे क्षेत्रीय रेलों के ग्रुप "बी" अधिकारियों को अ.अ.मा.सं. में वरिष्ठ वेतनमान में तैनात होने पर 600 रु. प्रतिमाह का कार्यकाल भत्ता दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 15,200 रु. प्रतिमाह (ग्रेड वेतन जमा कार्यकाल भत्ता) होगी. ग्रुप "ए" में आमेलन होने पर उन्हें 800 रु. प्रतिमाह की दर से कार्यकाल भत्ता दिया जाएगा जो उपरोक्त अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा.

4. ये आदेश 1 अगस्त, 1997 से लागू होंगे.

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

नीरा खुटिया

(नीरा खुटिया)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.